

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहक
हुकम
में

पत्राव पेश हुई। पार्टी वकील उपवा दावा
अदम पैरवी में श्वारिज किया जा चुका
है। अतः एव पत्र 212 RTA का यत्न
का कोई औचित्य नहीं है। अतः
एव पत्र 212 RTA इसी स्तर पर श्वारिज
किया जाता है। पत्राव फ़ैसल शुमार
होकर कारिवाल दफ़्तर हो।

